









7024


FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
बनाम सही रास वगैरे
मुकदमा नं. 19 कां. 51 सत 2017

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
117	<p>आज 24 एप्रिल 2017 को न्यायालय 251 A का 5 कोच रूम में प्रत्यक्ष सुनवाई के बाद ही न्यायाधीश (उपखण्ड) सूरजगढ़ न्यायालय पर लगे हुए नोटिस नं. 30 एप्रिल पर मौजदर की अर्ज पर न्यायालय की 15 जून 2017 को न्यायाधीश कोच कोच रूम में सुनवाई जारी की गयी थी। आज का न्यायाधीश कोच कोच रूम में एवं अज्ञात न्यायाधीश कोच कोच रूम में पेश की।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	
23 17	<p>आज न्यायाधीश पेश हुए। न्यायाधीश उपखण्ड न्यायाधीश कोच कोच रूम में में व्यस्त है/अज्ञात पर है। न्यायाधीश गत आदेशानुसार दिनांक 14-3-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> रजिस्ट्रार</p>	
14 17	<p>आज न्यायाधीश पेश हुए। न्यायाधीश उपखण्ड न्यायाधीश कोच कोच रूम में में व्यस्त है/अज्ञात पर है। न्यायाधीश गत आदेशानुसार दिनांक 25-3-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> रजिस्ट्रार</p>	

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
14 ¹² / ₂₂	आज पत्रावली पेश हुई। रजिस्ट्रार फरिक्तेन कार्य रक्षमन पेश निरास आयन्दा मत आदेशानुसार दिनांक 24-03-22 को पेश हो। 	
03 ⁰³ / ₂₂	पत्रावली पेश हुई। जज महाराज की आज्ञा के अनुसार 09-03-22 को जी-कॉन्फ्रॉन्टिंग हेतु रजिस्ट्रार को पेश हो। 	
09 ⁰³ / ₂₂	पत्रावली पेश हुई। जी-कॉन्फ्रॉन्टिंग हेतु कोई अपील नही आया। पत्रावली दिनांक 11-03-22 को पेश हो। 	
11 ⁰³ / ₂₂	पत्रावली पेश हुई। जी-कॉन्फ्रॉन्टिंग हेतु कोई अपील नही आया। पत्रावली दिनांक 24-03-22 को पेश हो। 	
24 ³ / ₂₂	आज पत्रावली पेश हुई। रजिस्ट्रार फरिक्तेन कार्य रक्षमन पेश निरास आयन्दा मत आदेशानुसार दिनांक 24/3/22 को पेश हो। 	
25 ³ / ₂₂	पत्रावली पेश हुई। कलकवादी काउन्सिलर की दिनांक 12-10-18 व 30-10-18 व 13-7-21 को समान तलवाजा पेश करने हेतु आदेश दिये गये थे व आर काउन्सिलरों को सूचना दिए पर लोक महाराज की सूचना को रजिस्ट्रार	

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
--------------	-----------------------------------	--

चल्पा अत ही गडे वी पर साज
 दिनांक - 25-3-22 तक लागू
 लखवांग पेडा नही क्रिये गये क 01-2
 आवाज लखावई मई परन्तु कोई उपस्थित
 ठाकी उपस्थित अते। आ धायता पर
 अतवगई आदेश 9 क्रिये 5 अ.प.त.त
 के तहत खारीन क्रिया जाता है।
 पत्रावली जम्बल के अत हेल
 दायित्व इम्पल है।


राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़ जिला झुंझुनू

दिनांक :- 16/3/22

क्रमांक / राज0 / 2022 / 50

निमित्त :-

तहसीलदार सूरजगढ़।

विषय :- आवेदन/प्रार्थना पत्र संख्या 19/12.....उनवानी सतीराम.....बनाम
सुरजगढ़.....अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 में
जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयक आवेदन/प्रार्थना पत्र आवेदक/आवेदकगण सतीराम.....
सुरजगढ़..... ने बाबत चाहने रास्ता इस न्यायालय में पेश किया है।
विषयक आवेदन/प्रार्थना पत्र की चित्रित प्रति संलग्न पत्र प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के उपबन्धों को लागू करने के लिये नियम 69,
70 अन्तर्गत आप अपनी जांच रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं पर इस न्यायालय में पेश
किया जाना सुनिश्चित करे :-

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक (आत्यंतिक) है तथा वह जोत (हॉलिंग) के
मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के
मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है अथवा नहीं।
3. रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ा होगा, तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की
भूमि तक रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में किया जाये। ऐसा प्रस्तावित मार्ग
निकटतम व लघुतम होगा यह जांच करे।
4. प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभावित भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर वर्तमान डी.एल.सी. के
दुगुने प्रतिकार की गणना कर रिपोर्ट करें।
5. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, यदि खड़े वृक्षों, फसलों या
निर्माण (स्ट्रक्चर) को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान (डेमेजेज) होता है, तो उसे
भी अवधारित किया जावे।
6. प्रकरण में आप स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में विवादित स्थल की फोटो
व मौका जांच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित भिजवाये।

उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मय अपनी स्पष्ट अभिशंषा के पेश करें।

प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/3/22 नियत है।

संलग्न :- उक्तानुसार

16/3/22

सुरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़